हिन्दी (द्वितीय भाषा)

कक्षा : 9 - 10 (014)

भूमिका :

शिक्षा समाज के नवीनीकरण के लिए रामशर है तथा शिक्षा की उपलब्धियां शिक्षा के स्वरूप पर निर्भर करती हैं और शिक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम की सम्पन्नता पर अवलम्बित है। अत: एत पाठ्यक्रम निर्माण बुनियादी प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम को वर्तमान सरोकारों के अनुरूप करने के लिए भी पाठ्यक्रम का नवीनीकरण करना आवश्यक हैं।

भाषा विषयक पाठ्यक्रम का तो विशेष मूल्य है। वैसे भी भारत बहुभाषी राष्ट्र है। अत: एव सब को जोड़नेवाली भाषा के रूप में हिन्दी सर्व-स्वीकृत भाषा है। अत: उसका राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में इसका व्यवहार होता आ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य को लक्ष्य में रख कर पाठ्य क्रम निर्माण किया गया है। सन् 2005 ई. स. में एनसीईआरटी ने जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारुप प्रस्तुत किया है इसके संदर्भ में भी गुजरात राज्य ने हिन्दी (द्वितीय भाषा) का पाठ्यक्रम नवीनीकरण का कार्यक्रम शुभारंभ किया है।

पाठ्यक्रम निर्माण के पूर्व हिन्दीतर भाषी प्रदेश के भाषिक सरोकारों के विषय में स्पष्ट हो जाना आवश्यक है। ये इस प्रकार हैं :

(1) माध्यमिक स्तर पर साहित्य शिक्षा की अपेक्षा भाषा शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए।

(2) अर्थग्रहणात्मक कौशलों के साथ-साथ अभिव्यक्तात्मक कौशलों के विकास पर बल देना चाहिए।

(3) प्रयोजन मूलक हिन्दी की शिक्षा पर बल देना चाहिए।

(4) जीवनमूल्यों के प्रति उन्मुख करने पर बल देना चाहिए।

(5) आनेवाली जीवन चुनौतियों को पहचान सके तथा उसके लिए श्रेष्ठ समाधान खोज सके इस पर बल देना चाहिए।

(6) जीवन कौशलों तथा स्वास्थ्य कौशलों का समावेश किया जाना चाहिए।

भाषा-शिक्षा के उद्देश्य :

- शिक्षार्थियों में मानक हिंदी के बोधगम्य उच्चारण और व्याकरण-सम्मत भाषा के प्रयोग की क्षमता का विकास करना।
- शिक्षार्थियों को सहज संप्रेषणीय और गतिपूर्वक हिंदी बोलने में सक्षम बनाना।
- शिक्षार्थियों की उम्र, योग्यता, रुचि-रुझान, हिंदी की पूर्वार्जित भाषिक क्षमता तथा भाषा-प्रयोग की संभावित सामाजिक परिस्थियों के अनुरुप हिंदी सुनने, बोलने, पढ़ने लिखने और एक सीमा तक हिंदी में सोचने-समझने तथा अपने विचारों को सही ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमताओं को संपुष्ट और विकसित करना।
- अवसर, आवश्यकता और सामाजिक सार भेदों के अनुरूप दैनंदिन कार्य-व्यवहार की परिस्थितियों में शिष्टाचारयुक्त हिंदी भाषा के मौखिक और लिखित प्रयोग की क्षमता विकसित करना।
- जीवन तथा जगत संबंधी अनुभवों और अनुभूतियों का विस्तार करना।
- शिक्षार्थियों को हिंदी के व्यावहारिक व्याकरण, विषयोचित शब्दावली और बहुप्रयुक्त लोकोक्तियों, मुहावरों आदि के प्रयोग में समर्थ बनाना।
- रेडियो और टेलिविजन पर हिंदी के कार्यक्रमों को देख-सुनकर उन्हें समझने में समर्थ बनाना।
- शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे हिंदी में लिखित विभिन्न विषयों की स्तरानुकूल अन्य पुस्तकें भी पढ़ सकें।

- हिंदी भाषा और उनके साहित्य तथा भारतीय संस्कृति के प्रति आत्मीयता और गौरव-गरिमा बोध की भावना विकसित करना।
- अपने भावि कामकाजी जगत में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

विशिष्ट उद्देश्य :

भाषा के व्यावहारिक ज्ञान और अध्ययन के लिए संप्रेषण के संदर्भों में विविध भाषिक कौशलों के संवधन के लिए निम्नलिखित भाषिक योग्यताओं के विकास पर बल दिया जाएगा :

(1) सुनने और बोलने की योग्यता प्राप्त करना।

(2) पढ़ने और समझने की योग्यता प्राप्त करना।

(3) लिखने की योग्यता :

इसमें लिखित और मौखिक रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति और सामाजिक व्यवहार क्षेत्र में संप्रेषण को सम्मिलित किया जाएगा।

(4) वर्णनात्मक/विवरणात्मक/तार्किक निबंध और अनुच्छेद लिखने की क्षमताओं का विकास करना।

(5) बोधन पर आधारित लेखन क्षमता विकसित करना।

(6) अपने अनुभवों पर आधारित डायरी, संस्मरणात्मक लेख, यात्रा-वृतांत, फीचर आदि लिखने की क्षमता का विकास करना।

(7) चिंतन की योग्यताएँ विकसित करने के साथ-साथ मौखिक भाषा व्यवहार का विकास करना।

(8) पत्र, प्रतिवेदन, समाचार, पोस्टर आदि लिखने की क्षमता का विकास करना।

(9) प्रपत्र भरने की क्षमता का विकास करना।

कक्षा-9 पाठ्यसामग्री संबंधित

→ भाषिक व्यवहार और साहित्यिक रचनाओं का आनुवातिक वितरण मोहे तौर पर क्रमश 60.40 : रखा जाए

सूचना :

→ निम्नलिखित घटकों को लक्ष्य में रखकर पाठ्यसामग्री का चयन किया जाए ।

- जीवनमूल्य (प्रामाणिकता, सहकारिता, करुणा, नेतृत्व और देशभक्ति) तथा जीवन कौशल्य (पर्यावरण व्यवस्थापन, समय व्यवरथा५न, वित्त व्यवस्थापन, मानसिक तनाव, वाक् कौशल)
- स्वच्छता और स्वास्थ्य
- आपदा व्यवस्थापन
- सामाजिक समरसता
- पर्यावरण संवर्धन एवं संरक्षण
- राष्ट्र की भावात्मक एकता एवं अखंड़िता
- उपभोक्ता सुरक्षा
- शिशु अधिकार
- वैज्ञानिक रुझान
- स्त्री-पुरुष समानता
- स्वातंत्र्य संग्राम की जानकारी
- उत्तम नागरिक का निर्माण
- लोकतांत्रिक मूल्य
- सृजनात्मकता का विकास

पाठ्यसामग्री

गद्य :

(1) कहानी : 03 (प्रथम सत्र दो + द्वितीय सत्र एक)

कहानी के प्रकार

- सामाजिक कथा
- प्रेरक कथा
- साहस कथा
- ऐतिहासिक कथा
- विज्ञान कथा

(2) निबंध : 02 (1 + 1)

निबंध के प्रकार

- वर्णनात्मक
- आत्मप्रेरक

(3) एकांकी/नाट्यांश (2) (1 + 1)

(4) जीवनी/आत्मकथा (2) (1 + 1)

(5) पत्र (1)

(6) यात्रावर्णन (1)

(7) संस्मरण (1)

(8) उपन्यासअंश (2) (1 + 1)

(9) संस्मरण/रेखाचित्र (2) (1 + 1)

पद्य :

(1) गीत (04) (2 + 2)

(2) पद/दोहे (04) (2 + 2)

(3) महाकाव्यांश/खंडकाव्य (2) (1 + 1)

व्याकरण

- व्यावहारिक व्याकरण

→ वर्तनी

→ समानार्थी शब्द

→ विलोम शब्द

→ शब्द समूह के लिए एक शब्द

→ संधि : स्वर संधि

→ शब्द संरचना

→ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य

→ मुहावरे

→ कहावतें

→ समास के प्रकार :

(1) कर्मधारय

(2) द्विगु

(3) द्वंद्व

(4) अव्ययीभाव

- वाक्य तथा वाक्य के प्रकार :

(अर्थ और रचना की दृष्टि से)

रचना :

(1) कहानियाँ : रूपरेखा पर से कहानी

(2) निबंध लेखन

(3) विचार विस्तार (पल्लवन)

(4) पत्रलेखन

(5) रिपोर्ताज

(6) पत्रलेखन (अनौपचारिक)

(7) गद्यसमीक्षा

(8) संक्षिप्तिकरण

(9) निबंधलेखन

(10) अनुवाद

प्रयोजनमूलक हिन्दी

- विवरणात्मक
- प्रयोजनमूलक शब्द (30 शब्द)

कक्षा-10

भूमिका :

शिक्षा समाज के नवीनीकरण के लिए रामशर है तथा शिक्षा की उपलब्धियां शिक्षा के स्वरूप पर निर्भर करती हैं और शिक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम की सम्पन्नता पर अवलम्बित है। अतः एव पाठ्यक्रम निर्माण बुनियादी प्रकिया है। पाठ्यक्रम को वर्तमान सरोकारों के अनुरूप करने के लिए भी पाठ्यक्रम का नवीनीकरण करना आवश्यक हैं।

भाषा विषयक पाठ्यक्रम का तो विशेष मूल्य है। वैसे भी भारत बहुभाषी राष्ट्र है। अतः एव सब को जोड़नेवाली भाषा के रूप में हिन्दी सर्व-स्वीकृत भाषा है। अतः उसका राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में इसका व्यवहार होता आ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य को लक्ष्य में रख कर पाठ्य क्रम निर्माण किया गया है। सन् 2005 ई. स. में एनसीईआरटी ने जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारुप प्रस्तुत किया है इसके संदर्भ में भी गुजरात राज्य ने हिन्दी (द्वितीय भाषा) का पाठ्यक्रम नवीनीकरण का कार्यक्रम शुभारंभ किया है।

पाठ्यक्रम निर्माण के पूर्व हिन्दीत्तर भाषी प्रदेश के भाषिक सरोकारों के विषय में स्पष्ट हो जाना आवश्यक है। ये इस प्रकार हैं :

(1) माध्यमिक स्तर पर साहित्य शिक्षा की अपेक्षा भाषा शिक्षा पर विशेष बल देना चाहिए।

(2) अर्थग्रहणात्मक कौशलों के साथ-साथ अभिव्यक्तात्मक कौशलों के विकास पर बल देना चाहिए।

(3) प्रयोजन मूलक हिन्दी की शिक्षा पर बल देना चाहिए।

(4) जीवनमूल्यों के प्रति उन्मुख करने पर बल देना चाहिए।

(5) आनेवाली जीवन चुनौतियों को पहचान सके तथा उसके लिए श्रेष्ठ समाधान खोज सके इस पर बल देना चाहिए।

(6) जीवन कौशलों तथा स्वास्थ्य कौशलों का समावेश किया जाना चाहिए।

भाषा-शिक्षा के उद्देश्य :

- शिक्षार्थियों में मानक हिंदी के बोधगम्य उच्चारण और व्याकरण-सम्मत भाषा के प्रयोग की क्षमता का विकास करना।
- शिक्षार्थियों को सहज संप्रेषणीय और गतिपूर्वक हिंदी बोलने में सक्षम बनाना।
- शिक्षार्थियों की उम्र, योग्यता, रुचि-रुझान, हिंदी की पूर्वार्जित भाषिक क्षमता तथा भाषा-प्रयोग की संभावित सामाजिक परिस्थियों के अनुरुप हिंदी सुनने, बोलने, पढ़ने लिखने और एक सीमा तक हिंदी में सोचने समझने तथा अपने विचारों को सही ढंग से अभिव्यक्त करने की क्षमताओं को संपुष्ट और विकसित करना।
- अवसर, आवश्यकता और सामाजिक सार भेदों के अनुरूप दैनंदिन कार्य-व्यवहार की परिस्थितियों में शिष्टाचारयुक्त हिंदी भाषा के मौखिक और लिखित प्रयोग की क्षमता विकसित करना।
- जीवन तथा जगत संबंधी अुनभवों और अनुभूतियों का विस्तार करना।
- शिक्षार्थियों को हिंदी के व्यावहारिक व्याकरण, विषयोचित शब्दावली और बहुप्रयुक्त लोकोक्तियों, मुहावरों आदि के प्रयोग में समर्थ बनाना।
- रेडियो और टेलिविजन पर हिंदी के कार्यकमों को देख-सुनकर उन्हें समझने में समर्थ बनाना।
- शिक्षार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे हिंदी में लिखित विभिन्न विषयों की स्तरानुकूल अन्य पुस्तकें भी पढ़ सकें।
- हिंदी भाषा और उनके साहित्य तथा भारतीय संस्कृति के प्रति आत्मीयता और गौरव-गरिमा बोध की भावना विकसित करना।
- अपने भावि कामकाजी जगत में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना।

विशिष्ट उद्देश्य :

भाषा के व्यावहारिक ज्ञान और अध्ययन के लिए संप्रेषण के संदर्भों में विविध भाषिक कौशलों के संवधन के लिए निम्नलिखित भाषिक योग्यताओं के विकास पर बल दिया जाएगा :

(1) सुनने और बोलने की योग्यता प्राप्त करना ।

(2) पढ़ने और समझने की योग्यता प्राप्त करना ।

(3) लिखने की योग्यता :

इसमें लिखित और मौखिक रूप से आवश्यकताओं की पूर्ति और सामाजिक व्यवहार क्षेत्र में संप्रेषण को सम्मिलित किया जाएगा ।

(4) वर्णनात्मक/विवरणात्मक/तार्किक निबंध और अनुच्छेद लिखने की क्षमताओं का विकास करना ।

(5) बोधन पर आधारित लेखन क्षमता विकसित करना ।

(6) अपने अनुभवों पर आधारित डायरी, संस्मरणात्मक लेख, यात्रा-वृतांत, फीचर आदि लिखने की क्षमता का विकास करना ।

(7) चिंतन की योग्यताएँ विकसित करने के साथ-साथ मौखिक भाषा व्यवहार का विकास करना ।

(8) पत्र, प्रतिवेदन, समाचार, पोस्टर आदि लिखने की क्षमता का विकास करना ।

(9) प्रपत्र भरने की क्षमता का विकास करना ।

सूचना : कक्षा 10 के अभ्यासक्रम में वर्णित घटकों को लक्ष्य में रखकर पाठ्यसामग्री का चयन किया जाय ।

गद्य :

(1) कहानी : (04) (2 + 2) प्रकार : कक्षा - 9 अनुसार

(2) निबंध : (2) (1 + 1)

(3) एकांकी/नाट्यांश (2) (1 + 1)

(4) जीवनी/आत्मकथा-अंश (2) (1 + 1)

पद्य :

(1) गीत (04) (2 + 2)

प्रकार :

- प्रार्थना गीत
- प्रकृति काव्य
- राष्ट्रभक्ति काव्य
- हास्यगीत

(2) पहेलियाँ-मुकरियाँ-मुक्तक (2)

(3) संवादकाव्य (2) (1 + 1)

(4) कथाकाव्य (2) (1 + 1)

(5) पद/दोहे/सवैया/कुण्डलियाँ (2) (1 + 1)

पाठ्यपुस्तकों :

पाठ्यपुस्तकों के गद्य-खंड में कहानी, निबंध, एकांकी, जीवनी आदि विधाओं के पाठ होंगे और पद्य खंड में हिंदी काव्य की उपर्युक्त रचनाओं का समावेश होगा। हिंदी और हिंदी के हिंदीतर लेखकों की छात्रोपयोगी रचनाओं को भी शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।

व्यावहारिक हिंदी तथा व्याकरण :

व्यावहारिक हिंदी के संदर्भ में जीवनोपयोगी परिस्थितियों के पाठों के माध्यम से पत्र, रिर्पोताज आदि के लेखन पर बल दिया जाएगा और व्यावसायिक क्षेत्रों के माध्यम से ज्ञान-विज्ञान की भाषा की शब्दावली, शैली इत्यादि का अभ्यास कराया जाएगा। इस स्तर पर प्रकार्यात्मक (फंक्शनल) व्याकरण के माध्यम से भाषिक संरचनाओं की विशेषताओं का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इस स्तर पर शिक्षार्थियों के आजीविका अर्जन से संबंधित जीवनोपयोगी व्यवसायपरक कार्यक्षेत्र होंगे।

* संचार माध्यम : समाचार पत्र, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पी.सी.ओ, एस.टी.डी, आई.एस.डी, फैक्स, ई-मेल आदि।
* कम्प्यूटर, विशेषकर डैस्कटोप पब्लिशिंग (डी.टी.पी.) आदि।
* क्षेत्रकार्य (सर्वेक्षण कार्य) करने की पद्धतियाँ और प्रकृति।
* सामान्य और कार्यालयी पत्र, शासनादेश, समाचार लेखन संपादकीय आदि पर टिप्पणी लिखना।
* विभिन्न कार्यालयों के स्वरूप और संरचना से परिचय।
* कार्यालय में आए पत्रों को निपटाने की पद्धति।
* मौखिक अभिव्यक्ति एवं अध्यापन के लिए आवश्यक उपकरण एवं प्रकियाएँ।
* दृश्य-श्रव्य सामग्री का उचित एवं महत्तम उपयोग।
* अतिरिक्त पठन-पाठ्यपुस्तक के अलावा विविध विद्याओं की स्तरीय पुस्तकों को पढ़ने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना।

विषय क्षेत्र

उपर्युक्त पाठ्यपुस्तकों मे निम्नलिखित क्षेत्रों से शिक्षण सामग्री ली जाएगी :

* जीवन के विविध संदर्भ।
* केंद्रिक घटक और नागरिकों के मूल कर्तव्य।
* मूल्यपरक विषय।

जीवन के विविध संदर्भ :

पौराणिक एवं साहसिक कहानियाँ, त्यौहार, खेलकूद, लोककथाएँ, पशु-पक्षी, ग्रामीण और शहरी जीवन, प्रकृति, पर्यावरण-संरक्षण, कृषि और प्रौद्योगिकी, यातायात के साधन, महान विभूतियाँ, मनोरंजन, विभिन्न धर्मों के मूल सिद्धांतो का परिचय एवं सर्वधर्म समभाव, देश की सांस्कृतिक एवं सामासिक संस्कृति के प्रति प्रेम, स्वदेश प्रेम, वसुधैव कुटुम्बकम, राष्ट्रीय एकता, दर्शनीय स्थल, विज्ञान (प्रदूषण, दूरभाष, दूरसंचार, कम्प्यूटर आदि) कला, पर्व-मेले, राष्ट्रीय चिह्न, राष्ट्र-प्रहरी, यात्रा-वृत्तांत आदि।

* केंद्रिक घटक और नागरिकों के मूल कर्तव्य एवं मूल्यपरक विषयों के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में दिए गए केंद्रिक घटकों को पाठ्यसामग्री में शामिल करने की आवश्यकता है।

शिक्षा प्रयुक्तियाँ :

सहायक शिक्षण-सामग्री के रूप में यद्यपि चित्रों, चार्ट, श्रव्य और दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण करके विद्यालयों में अध्यापकों के प्रयोग के किए सुलभ कराने का प्रयास किया जाएगा, किंतु हिंदी पढ़ाने की पद्धति का अंतिम रूप से निर्धारण हिंदी भाषा के अध्यापक ही अपनी-अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं करेंगे । शैक्षिक संसाधन केवल अध्यापकों को उनकी कार्ययोजना में सहयोग प्रदान करने के लिए ही हो सकते हैं, ये भाषा-अध्यापक के जीवंत व्यक्तित्व और विवेक के स्थानापन्न कभी नहीं हो सकते। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समय-समय पर सेवारत हिंदी अध्यापकों के लिए अल्पकालीन सेवावधि प्रशिक्षण (अभिनवीकरण) कार्यक्रमों के आयोजनों की आवश्यकता होगी। आवश्यकता होने पर ये कार्यक्रम दूरस्थ प्रशिक्षण-पद्धति के माध्यम से भी संचालित किए जाएँगे।

अंत में एक बात और, भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही हिंदी भाषा का स्तर पढ़ने और पढ़ाने दोनों ही दृष्टियों से मातृभाषा सीखने की तुलना में मंथर गति चलेगा। वह गति धीरे-धीरे बढ़ सके, इसके लिए हिंदी अध्यापकों को बड़े धीरज से अपने अध्यापन कार्यक्रमों को नियोजित करना होगा। किसी भी द्वितीय भाषा में निपुणता प्राप्त करने-कराने का ही उपाय है, उस भाषा का लगातार रोचक अभ्यास करना - कराना। ये अभ्यास जितने अधिक रोचक-सक्रिय एवं प्रारंभिक होंगे, विद्यार्थियों की भाषिक उपलब्धि भी उतनी ही तेजी से हो सकेगी। मुखर भाषिक अभ्यास के लिए गद्य पाठ, वार्तालाप, घटनावर्णन, संवाद, वाद-विवाद, अभिनय, भाषण, प्रतियोगिताएँ, कवितापठन, अंताक्षरी जैसी प्रवृत्तियों का सहारा लिया जा सकता है।

मूल्यांकन और परीक्षा

प्रस्तुत पाठ्यक्रमें प्रावधान है कि माध्यमिक स्तर तक की परीक्षाओं में कोई विद्यार्थी उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित नहीं किया जाएगा। मूल्यांकन मुख्यरूप से स्कूल आधारित होगा जिसमें सतत और व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग होगा। इस आकलन को शैक्षिक विषयों की अंक सूचि के ग्रेड कार्ड में सम्मिलित करने के लिए बॉर्ड को भेजा जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा मूल्यांकन एवं परीक्षा का आयोजन होता रहेगा।

अंक विभाजन :

मूल्यांकन की दृष्टि से व्यावहारिक हिन्दी शिक्षण के अध्ययन के लिए स्वीकृत शिक्षण सामग्री पर 100 अंक निर्धारित किए जाएँगे ; जिनका विभाजन इस प्रकार हो सकता है :

(अ) लिखित 80 प्रतिशत

(ब) मौखिक 20 प्रतिशत

मौखिक अभिव्यक्ति परीक्षण के लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसका परीक्षण विद्यालय में पूर्णत: आंतरिक होगा और अध्यापक मूल्यांकन के आधार पर अंक प्रदान करेंगे। मौखिक अभिव्यक्ति परीक्षण में विद्यार्थी का उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।